



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/DEV-4731/DL/25/2025-RU-IV

दिनांक: ०५.06.2026

जिला मजिस्ट्रेट,
जिला-पूर्व दिल्ली,
जिला मजिस्ट्रेट (पूर्व) का कार्यालय,
एल एम बंध, शास्त्री नगर,
दिल्ली - 110031
ई-मेल: dceast@nic.in

विषय: जनजातीय कल्याण एवं विकास हेतु प्रदत्त भूमि को कब्जा मुक्त कराने तथा एस.डी.एम., शाहदरा द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार settlement अधिकारी, दिल्ली को आदेश निर्गत कर संबंधित भूमि को राजस्व भू-अभिलेखों में संस्था का नाम दर्ज कराने के विषय में - श्री अजय कुमार चौबे, महामंत्री, भारतीय घुमन्तु जन (खाना बदोश) सेवक संघ, थाकर बापा स्मारक सदन, डॉ अंबेडकर मार्ग (लिक रोड़), झंडेवालान मेट्रो स्टेशन गेट न.4, नई दिल्ली-55 का दिनांक 18.02.2025 का पत्र/अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11.05.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 17.06.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अजय कुमार चौबे,
महामंत्री,
भारतीय घुमन्तु जन (खाना बदोश) सेवक संघ,
थाकर बापा स्मारक सदन, डॉ अंबेडकर मार्ग (लिक रोड़),
झंडेवालान मेट्रो स्टेशन गेट न.-4, नई दिल्ली-110055,
Mobile No:7217690846
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु आयोग में
आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।